1	2	3	4
15. रेवा	90.00	23.75	18
16. राजनांदगांव**	155.00	69.00	62
17. रैसन**	85.00	28.00	34
18. राजगढ़	55.00	12.08	11
19. रतलाम	25.00	7.20	5
20. शिवपुरी	90.00	26.08	18
21. शाजापुर	55.00	35.75	11
22. सेओनी	140.00	36.74	28
23. शहडोल	180.00	75.05	36
24. सिधी	230.00	97.99	46
25. पश्चिम निमार	255.00	104.69	51
कुल	3510.0	1489.48	823

*बिलासपुर, दुर्ग, जबलपुर, राजनंदगांव एवं रायसेन जिलों में शुरू की गयी परियोजनाओं में वे अतिरिक्त परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें 1995-96 के दौरान हुई अतिरिक्त केन्द्रीय रिलीज के कारण इन जिलों में शुरू किया गया था।

(ख) मध्य प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा

वर्ष	1992-93 से 1994-95							
जिले का नाम **	आबंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	भौतिक उपलब्धियां (00" हेक्टेयर)					
			भूमि संसाधन विकास		जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. बेतुल	543.75	463.24	28.25	16.84	0.00	0.00	26.00	26.00
2. धार	533.00	552.25	19.95	7.95	5.66	2.61	30.16	26.05
3. झबुआ	787.50	729.35	16.98	16.37	10.90	8.13	15.50	17.50
4. खरगॉन	468.75	385.89	47.10	33.62	11.30	5.46	66.72	49.14
5. सिधी	551.00	469.00	6.48	5.09	1.20	0.00	61.65	48.65
6. शहडोल	483.50	487.55	25.42	15.60	4.16	2.91	22.75	17.15
राज्य सैल		2.58						
कुल	3367.50	3089.86	144.18	95.47	33.22	19.11	222.78	184.49

पेंशन की दरों में एकरूपता लाने की मांग

1327. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1986 के पहले तथा उसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों विशेषकर श्रेणी-1 के अधिकारियों की पेंशन दरों में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 के पहले और इसके बाद सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के लिए दी जा रही पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) में भी काफी अन्तर है; और

(घ) सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किए बिना पद तथा सेवाकाल के आधार पर पेंशन में एकरूपता लाने की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰आर॰ बालासुब्रहमण्यन): (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति करने का फार्मूला इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उनकी सेवानिवृत्ति

की तारिख क्या है, एक समान है। पेंशन की गणना, सेवानिवृत्ति से पहले 10 महीनों में आहरित की गई औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के हिसाब से की जाती है।

(ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्ति दिवंगत कर्मचारियों के कुटुम्ब पेंशनभोगियों को किसी अलाभकारी स्थिति में रख गया है। सभी मामलों में कुटुम्ब पेंशन की राशि को, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत, महंगाई राहत तथा अतिरिक्त राहत को मिलाकर 1.1.1986 से पूर्व ली जाने वाली कुटुम्ब पेंशन की राशि में समेकित करके बढना दिया गया है।

(घ) सरकार ने पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। यह आयोग वर्तमान पेंशन ढांचे तथा इससे सम्बद्ध मुददों पर विचार करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत करनी है।

Commcerial Viability of the State electricity Boards

1328. DR. D. VENKATESHWARA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Whether Government have asked the State Electricity Boards to become commercially viable;

(b) if so, whether Government had suggested that they should review the measures to meet the on-going power projects; and

(c) if so, what is the action programme undertaken by the State Electricity Boards in the power sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Government of India has emphasised in its various communications to the State Governments the need for reforms/restructuring of the State Power Sectors. Besides encouraging the States to restructure their State Electricity Boards, the steps being taken to make the State Electricity Boards more viable include improving their genration reducing transmission and distribution losses, reducing establishment costs, promoting better management practices and project implementation capabilities.

(c) Diagnostic studies aimed at improving the physical and financial performance have been initiated in several States namely, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan Bihar, Andhra Pradesh and Karnataka. A new reform legislation namely, the Orissa Reform Act, 1995 has been enacted and made effective in the State of Orissa from 1-4-1996. A few other States are also considering taking similar steps.

Creation of a Minister of Scams

1329. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering creation of a Minister of Scams keeping in view the increasing size and frequency of different kinds of scams in the country in the recent past; and

(b) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) An elaborate vigilance system already exists in the Ministries/Departments of the Government to check corruption at all levels of adminstration as the Secretary/Head of the Department is primarily responsible for the maintenance of purity/integrity in his organisation.

Besides, the comprehensive legislation and statutory provisions under various laws of the country such as IPC, Cr. Pc, FERA and Banking Regulations Act including Prevention of Corruption Act, 1988 have adequate and stringent provisions to punish thosa who are found guilty. There is, therefore, no proposal under consideration of the Government or need for creation of a post of Minister of Scams.

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को पेश आ रही समस्याएं

1330. श्री ओ॰पी॰ कोहली: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग करके विकास कार्य कराने में संसद सदस्यों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;